**एस.एस. संधावालिया सी.जे. और जी.सी. मितल , जे. के समक्ष**

**स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- प्रतिवादी-अपीलकर्ता, बनाम**

**दर्शन कुमार जिंदल, वादी-प्रतिवादी।**

**नियमित द्वितीय अपील संख्या 964/1972**

**27 फ़रवरी 1979.**

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-धारा 9 और 100-औद्योगिक परीक्षण विवाद अधिनियम (1947 का XIV)-धारा 2 (के) और 10-किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार-समाप्ति से संबंधित विवाद एक कर्मचारी की सेवा - एक श्रमिक संघ द्वारा समर्थित ऐसा विवाद और आयोजित सुलह कार्यवाही - सरकार - निर्णय के लिए विवाद का संदर्भ देने से इनकार कर रही है, इसके बाद विवाद का निर्णय करने के लिए सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार - क्या एक सिविल के क्षेत्राधिकार की कमी की याचिका वर्जित है न्यायालय-क्या द्वितीय अपील में पहली बार उठाया जा सकता है।

माना गया कि जहां औद्योगिक विवाद सामान्य कानून या सामान्य कानून के तहत किसी अधिकार, दायित्व या दायित्व को लागू करने के उद्देश्य से है, न कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत बनाए गए अधिकार, दायित्व या दायित्व को लागू करने के लिए, वहां वैकल्पिक मंच हैं अधिनियम के तहत मशीनरी को स्थानांतरित करने या सिविल कोर्ट से संपर्क करने का अपना उपाय चुनने के लिए मुकदमा करने वाले को चुनाव। यह स्पष्ट है कि उसके पास दोनों नहीं हो सकते। उसे एक या दूसरे को चुनना होगा। वादी को अपना उपचार या तो अधिनियम के तहत या एक अलग मुकदमे द्वारा चुनना होगा और जहां वह अधिनियम के तहत उपाय चुनता है और उसका लाभ उठाता है, लेकिन असफल रहता है, उस स्थिति में सिविल कोर्ट के पास उसके मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

(पैरा 9 और 11)

माना गया कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी की दलील पहली बार दूसरी अपील में उठाई जा सकती है।

(पैरा 7 और 11)

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 18 सितंबर, 1974 को माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल द्वारा मामले को एक डिवीजन बेंच को भेजा गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.सी. मित्तल की खंडपीठ ने अंततः 27 फरवरी, 1979 को मामले का फैसला किया।

नियमित दूसरा अपील श्री पी. आर. अग्रवाल, अपर जिला न्यायाधीश, अम्बाला के न्यायालय के डिक्री दिनांकित 15 मार्च, 1972 पुष्टि की श्री के.सी. गुप्ता, उप-न्यायाधीश तृतीय श्रेणी, अम्बाला के डिक्री दिनांकित 29 मार्च. 1971, लागत सहित वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया घोषणा कि आदेश दिनांक 28 दिसंबर 1962 और 28 जून, 1963 को भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, स्थानीय प्रधान कार्यालय के अधीक्षक कर्मचारी अनुभाग द्वारा वादी को चतुराई के तहत क्लर्क के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और आदेश, दिनांक 25 नवंबर, 1963 को पारित किया गया। उप सचिव और कोषाध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा अधीक्षक कर्मचारी अनुभाग द्वारा पारित आदेशों से वादी की अपील को खारिज करना अवैध, अधिकारातीत, शून्य और गलत और निष्क्रिय है और वादी सेवा में बना हुआ है। प्रतिवादी को उस पद पर नियुक्त किया जाएगा जिस पद पर वह आक्षेपित आदेश के समय था।

निचली अपीलीय अदालत ने आदेश दिया कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता यदि चाहे तो वादी-प्रतिवादी के खिलाफ कानून के अनुसार नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देगा।

निचली अपीलीय अदालत ने वादी-प्रतिवादी द्वारा दायर क्रॉस-आपत्तियों को भी खारिज कर दिया।

दावा: दिनांक 28 दिसंबर, 1962 और 28 जून, 1963 के आदेश की घोषणा हेतु अधीक्षक, कर्मचारी अनुभाग, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली द्वारा पारित किया गया स्थानीय चिकित्सा कार्यालय खारिज कर रहा है वादी को प्रतिवादी के अधीन क्लर्क के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, और उप सचिव और कोषाध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25 नवंबर, 1963 को पारित आदेश ने अधीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 जून, 1963 से वादी की अपील को खारिज कर दिया। स्टाफ अनुभाग भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली गलत तरीके से अवैध, निष्क्रिय है और वादी अभी भी अल्ट्रा वायर्स में शून्य है, और, आक्षेपित आदेशों के समय और संस्थान की तारीख पर प्रतिवादी की क्लर्क के रूप में सेवा भी

मुक़दमा दायर किया गया है और वह सेवानिवृत्ति की तारीख तक या उसकी मृत्यु तक ऐसे ही बने रहने का हकदार है; सेवाओं को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया जाता है और लागत/लागत, या किसी अन्य राहत के लिए एक डिक्री दी जाती है जिसके लिए वादी कानून और इक्विटी में हकदार है।

अपीलकर्ता की ओर से श्री बिपेन कंछल, अधिवक्ता के साथ आर.के. छिब्बर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से जी.एस. ग्रेवाल, अधिवक्ता, श्री एच.एस. नागरा, अधिवक्ता के साथ।

निर्णय

श्री सी. मितल, जे.

(1) वादी-प्रतिवादी कुमार जिंदल 2 जुलाई 1945 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे।

2 जनवरी, 1946 को इसकी पुष्टि की गई। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के आधार पर वह भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी बन गये। 28 जून 1963 को जांच के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उनके द्वारा दायर विभागीय अपील भी 25 नवंबर 1963 को विफल हो गई:

(2) मामले को सुलह के लिए उठाया गया था और जब सुलह विफल हो गई, तो सुलह अधिकारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत विवाद को श्रम न्यायाधिकरण के संदर्भ में भारत सरकार से स्थानांतरित कर दिया। भारत सरकार ने इनकार कर दिया वादी की बर्खास्तगी के संबंध में औद्योगिक विवाद को संदर्भित करने के लिए। - विस्तृत आदेश, दिनांक 17 अप्रैल, 1965। यह कहा जा सकता है कि सुलह की कार्यवाही वादी के प्राधिकरण पर शुरू की गई थी, जिसका समर्थन स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने किया था। भारत के कर्मचारी संघ द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में, जब भारत सरकार ने विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने से इनकार कर दिया, तो भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के कर्मचारी संघ ने रिट के लिए इस न्यायालय में 1965 की सिविल रिट याचिका संख्या 1322 दायर की। भारत सरकार को वादी की बर्खास्तगी से संबंधित विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करने का निर्देश देने वाला परमादेश। रिट याचिका अंततः 18 अक्टूबर, 1966 को

एक डिवीजन बेंच के समक्ष आई और रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि निष्कर्षों की योग्यता पर विचार करना आवश्यक नहीं था क्योंकि रिपोर्ट ऐसी थी जिस पर सरकार आ सकती थी। इस निष्कर्ष पर कि जांच निष्पक्ष और उचित थी और मामले को निर्णय के लिए भेजना समीचीन नहीं था।

(3) जैसा कि ऊपर कहा गया है, वादी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के तहत सुलह कार्यवाही में विफल होने के बाद, उसने वर्तमान सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें से यह अपील अप्रैल में उत्पन्न हुई। 22, 1968 अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, अम्बाला कैंट के समक्ष। भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ इस आशय की घोषणा के लिए कि उसके खिलाफ पारित बर्खास्तगी के आदेश गलत, अवैध, अधिकारातीत, शून्य और निष्क्रिय हैं, और वादी अभी भी क्लर्क के रूप में प्रतिवादी की सेवा में है और इसका हकदार है। सेवानिवृत्ति की तारीख तक या जब तक उसकी सेवाएँ कानूनी रूप से समाप्त नहीं हो जातीं, तब तक वह उसी पद पर रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न आधारों पर मुकदमे का विरोध किया गया था।

(4) पार्टियों की दलील पर, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए:

(1)क्या वाद वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं है?

(2) क्या मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है?

(3) क्या वर्तमान मामला 1963 के रिट केस संख्या 1322 अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी बनाम भारत सरकार में उनके आधिपत्य के निर्णय के मद्देनजर न्यायिक बन गया है?

(4) क्या लिखित बयान किसी अधिकृत एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है? यदि नहीं, तो किस प्रभाव से?

(5) क्या वादी के विरुद्ध जांच न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं की गई है और इस प्रकार वादी को पूर्वाग्रह से ग्रसित किया गया है, और यदि हां, तो किस प्रभाव से?

(6) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार वादी को पर्याप्त अवसर दिया गया था? यदि नहीं, तो किस प्रभाव से?

(7) क्या वादी दावा की गई राहत का हकदार है?

(8) क्या वादी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त नहीं किया गया है?

(9) राहत.

ट्रायल कोर्ट ने 29 मार्च, 1971 को फैसले और डिक्री द्वारा मुकदमे का फैसला किया और यह घोषणा करने के लिए डिक्री दी कि बर्खास्तगी के आदेश अवैध, अधिकारातीत, शून्य, निष्क्रिय और गलत हैं, और वादी प्रतिवादी की सेवा में बना हुआ है। आक्षेपित आदेश के समय वह जिस पद पर था। ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 15 मार्च, 1972 के फैसले और डिक्री द्वारा बरकरार रखा था। भारतीय स्टेट बैंक निचली अदालतों के फैसले और डिक्री के खिलाफ दूसरी अपील में इस अदालत में आया है।

(5) शुरुआत में मामला राजेंद्र नाथ मित्तल, जे. के सामने आया, लेकिन दलीलें सुनने के बाद उनकी राय थी कि मामले से जुड़े सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई मामलों में उठने की संभावना है। इसलिए, उन्होंने यह उचित समझा कि इसका निर्णय एक डिवीजन बेंच द्वारा किया जा सकता है। ऐसे ही ये मामला हमारे सामने है।

(6) हमारे सामने बहस के समय, भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता श्री राजिंदर कटुनार छिबर ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर वर्तमान मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का एक नया मुद्दा उठाया है। इस तारीख से पहले बैंक की ओर से यह मुद्दा नहीं उठाया गया था और यह सवाल विचार के लिए उठा कि इसे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम इंजीनियरिंग मजदूर सभा और अन्य (1) पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि वर्तमान मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का पूर्ण अभाव था और चूंकि वह एक मुद्दा उठा रहे थे। क्षेत्राधिकार जो मामले की जड़ तक गया जिसके लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी, इसलिए उन्हें यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तर्क दिया कि यह न्यायालय उन्हें अधिकार क्षेत्र के इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देने के लिए बाध्य है या है और इस मामले के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों, प्रीवी काउंसिल में से एक और इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। जिन्हें बद्री प्रसाद और अन्य बनाम नागरमल और अन्य, (2), ए. सेंट अरुणाचलम पिल्लई बनाम मैसर्स कहा जाता है। दक्षिणी रोडवेज लिमिटेड और अन्य, (3), राम क्रिस्टो मंडल और अन्य बनाम धनकिस्तो मंडल, (4), रामलाल हरगोपाल बनाम किसनचंद्र और अन्य, (5), और दविंदर सिंह और अन्य बनाम उप सचिव-सह-निपटान आयुक्त, ग्रामीण, पुनर्वास विभाग, पंजाब और अन्य, (6)।

(7) इन निर्णयों को पढ़ने के बाद हम अपीलकर्ता के अधिवक्ता को इस शर्त के अधीन अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाने की अनुमति देने के इच्छुक हैं कि भले ही वह इस बिंदु पर सफल हो जाए, वह तीनों न्यायालयों में प्रतिवादी की लागत का भुगतान करेगा। प्रतिवादी 1963 से ही सेवा से बाहर हो चुका है।

(8) अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उनकी बर्खास्तगी के संबंध में वादी और बैंक के बीच अधिनियम के तहत सुलह की कार्यवाही हुई थी, जिसका समर्थन स्टेट बैंक के कर्मचारियों के कर्मचारी संघ ने किया था। भारत जिसका वादी सदस्य था और जब सुलह की कार्यवाही विफल रही। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत भारत सरकार के माध्यम से संदर्भ मांगा गया था

(1) आकाशवाणी. 1975 एस.सी. 2238.
(2) ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 559.
(3) 1960 एस.सी. 1191.
(4) 1969 एस.सी. 204.
(5) 1924 प्रिवी काउंसिल 95.
(6) 1964 (भाग 1) आई.एल.आर. पंजाब. 905.

और जब भारत सरकार ने इस विवाद को संदर्भित करने से इनकार कर दिया

वादी को औद्योगिक न्यायाधिकरण में यह पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया कि उसका बर्खास्तगी को उचित ठहराया गया, इस न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक परमादेश रिट के लिए रिट याचिका संख्या 1322/1965 दायर की गई थी, जिसके तहत भारत सरकार को वादी की बर्खास्तगी से संबंधित विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया था और इसे 18 अक्टूबर, 1966 को खारिज कर दिया गया था (रिकॉर्ड पर प्रदर्शनी डीएक्स पर प्रतिलिपि)। वादी ने अधिनियम के तहत अपना उपचार मांगा और एक बार जब उसने अधिनियम के तहत उपचार चुना और उसमें विफल रहा तो सिविल सूट का उपचार उसके लिए उपलब्ध नहीं था और इसके लिए। मामला वह द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स मामले (सुप्रा) में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है,

(9) यदि ध्यान से हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलील में दम है और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए, तो हम उपरोक्त निर्णय से गुजर चुके हैं। फैसले के पैरा 9, 13, 14, 15, 23, 24 और 25 का संदर्भ लिया जा सकता है। संदर्भ की सुविधा के लिए निर्णय के कुछ अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

“लेकिन जहां औद्योगिक विवाद सामान्य कानून या सामान्य कानून के तहत किसी अधिकार, दायित्व या दायित्व को लागू करने के उद्देश्य से है, न कि अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकार, दायित्व या दायित्व को लागू करने के लिए, वहां वैकल्पिक मंच हैं जो दावेदार को चुनाव देते हैं। वह अधिनियम के तहत मशीनरी को स्थानांतरित करने या सिविल कोर्ट से संपर्क करने का अपना उपाय चुन सकता है। यह स्पष्ट है कि उसके पास दोनों नहीं हो सकते हैं। उसे एक या दूसरे को चुनना होगा। लेकिन हम वर्तमान में दिखाएंगे कि सिविल कोर्ट ऐसा करेगा यदि यह केवल अधिनियम के तहत बनाए गए कुछ अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित है, तो किसी औद्योगिक विवाद पर मुकदमा चलाने और निर्णय लेने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उस स्थिति में सिविल कोर्ट के पास खतरे की चोट को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का भी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। अनुबंध का कथित उल्लंघन। यदि अनुबंध ऐसा है जो केवल अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू करने योग्य है।“

“श्री सोराबजी ने अपने मामले को दो आधारों पर अंग्रेजी अदालतों द्वारा कानून के अच्छी तरह से स्थापित और संक्षिप्त रूप से प्रतिपादित सिद्धांतों से बाहर ले जाने का प्रयास किया: -

“(1) अधिनियम के तहत प्रदान किया गया उपाय कानून की नजर में कोई उपाय नहीं है। यह एक मिथ्या नाम है। औद्योगिक विवाद के निर्णय के लिए श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण का संदर्भ शक्ति के प्रयोग पर निर्भर था। धारा 10(1) के तहत सरकार। इसने प्रेमी को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया।“

“हमें दोनों में से किसी भी विवाद में ज्यादा दम नहीं दिखता। इसमें कोई संदेह नहीं है।“

यह सच है कि अधिनियम की धारा 33C के तहत उपाय प्रदान किया गया है, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रबंधन और श्रमिकों के बीच हुए दो समझौतों के संबंध में विवादों को शामिल करना उचित समाधान नहीं था। यह भी सच है कि संबंधित श्रमिकों के लिए यह खुला नहीं था कि वे विवाद के फैसले के लिए सीधे श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते थे। इस न्यायालय के प्राधिकारियों पर यह और भी अच्छी तरह से स्थापित है कि सरकार कुछ परिस्थितियों में समीचीनता के आधार पर भी, बॉम्बे राज्य बनाम के.पी. कृष्णन, (1961)1 एससीआर 227= (एआईआर 1960 एससी 1223) और बॉम्बे

यूनियन ऑफ पत्रकार बनाम बॉम्बे राज्य, (1964)6 एससीआर 22= (एआईआर 1963 एससी 1617) संदर्भ देने से इनकार कर सकते हैं। यदि इनकार कानून में टिकाऊ नहीं है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब से यह नहीं पता चलता कि अधिनियम के तहत प्रदान किया गया उपाय एक मिथ्या नाम है। धारा 10(1) के तहत कार्यवाही करना सरकार की शक्ति के प्रयोग में निर्णय के लिए औद्योगिक विवादों का संदर्भ इतना आम है कि इसके तहत बनाए गए अधिकार या दायित्व को लागू करने के उद्देश्य से उपाय को मिथ्या नाम या अपर्याप्त या अपर्याप्त कहना मुश्किल है।

ऐसे अधिकारों का आनंद लेने की इच्छा रखने वाले और इसके कार्यान्वयन की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उपाय को सुरक्षित करने के लिए सामग्री को आराम देना चाहिए। संभावना है कि सरकार शायद ऐसा न करे. अंततः एक औद्योगिक का संदर्भ लें समीचीनता के आधार पर धारा 10 के तहत विवाद इस संबंध में प्रासंगिक विचार नहीं है।"

'जे

भारत में संहिता की धारा 9 के तहत, न्यायालयों को उन मुकदमों को छोड़कर, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित है, नागरिक प्रकृति के मुकदमों की सुनवाई करने के लिए कुछ प्रतिबंधों, अधिकार क्षेत्र के अधीन रखा गया है। विभिन्न प्रकार के अधिकारों को लागू करने के लिए सिविल न्यायालयों की कोई अलग-अलग प्रणालियाँ नहीं हैं। मौजूदा मामले में किसी भी प्रकार के अधिकार के प्रवर्तन के लिए औद्योगिक विवाद के संबंध में मुकदमे का संज्ञान लेना स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है। लेकिन यदि यह अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आवश्यक इरादे से, सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित है। ऐसा होने पर, भारत में, इसे सभी उद्देश्यों के लिए वर्जित किया गया है, उन मामलों को छोड़कर जिनका उल्लेख इसके बाद किया जाएगा।"

"संक्षेप में, औद्योगिक विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर लागू सिद्धांतों को इस प्रकार कहा जा सकता है:

(1) यदि विवाद कोई औद्योगिक विवाद नहीं है, न ही यह अधिनियम के तहत किसी अन्य अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है तो इसका समाधान केवल सिविल न्यायालय में है।

(2) यदि विवाद एक औद्योगिक विवाद है जो सामान्य या सामान्य कानून के तहत किसी अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है और अधिनियम के तहत नहीं, तो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वैकल्पिक है, इसे संबंधित सूइटर के चुनाव पर छोड़ दिया जाता है। राहत के लिए उपाय जो किसी विशेष उपाय में दिए जाने के लिए सक्षम है।

(3) यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित है तो मुकदमा करने वाले के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राप्त करना है।

(4) यदि जिस अधिकार को लागू करने की मांग की गई है वह अध्याय वीए जैसे अधिनियम के तहत बनाया गया अधिकार है तो इसके प्रवर्तन का उपाय या तो धारा 33सी है या औद्योगिक विवाद उठाना, जैसा भी मामला हो।"

"हालाँकि, हम ऊपर बताए गए सिद्धांत 2 के संबंध में यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि शायद ही कोई विवाद होगा जो अधिनियम की धारा 2 (के) के अर्थ के भीतर एक औद्योगिक विवाद होगा और फिर भी उत्पन्न होने वाला विवाद होगा केवल सामान्य या सामान्य कानून के तहत अधिकार या दायित्व का, न कि अधिनियम के तहत। ऐसी आकस्मिकता, उदाहरण के लिए, एक गैर-प्रायोजित कर्मचारी की बर्खास्तगी के संबंध में उत्पन्न हो सकती है, जो कि धारा 2 ए में निहित कानून के प्रावधान के मद्देनजर है। अधिनियम एक औद्योगिक विवाद होगा, भले ही यह अन्यथा एक व्यक्तिगत विवाद हो सकता है। इसलिए, सिविल न्यायालयों के पास सिद्धांत 2 के अंतर्गत आने वाले प्रकार के मामलों से निपटने का शायद ही कोई अवसर होगा। औद्योगिक विवादों के मामले लगभग हमेशा के लिए बाध्य होते हैं ऊपर बताए गए सिद्धांत 3 द्वारा कवर किया जाएगा।"

(10) प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह कहने के अलावा कि उपरोक्त बिंदु को पहली बार उच्च न्यायालय में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यह भी कहा कि यदि इसे उठाने की अनुमति दी गई थी, तो भी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं लगाई गई थी। वास्तव में, विद्वान श्रम न्यायाधिकरण या औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उनके मुवक्किल की बर्खास्तगी के संबंध में विवाद का कोई संदर्भ नहीं था और उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी मामले में वह सुलह कार्यवाही या रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे और इसलिए यह कानून में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अधिनियम के उपचार का लाभ उठाया और इसलिए उसका मुकदमा रोक दिया गया। मैं

(11) जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, हमें लगता है कि अपीलकर्ता को अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को उठाने की अनुमति देने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है और चूंकि हमने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी और प्रतिवादी के अधिवक्ता को भी इस मुद्दे को पूरा करने का पूरा अवसर दिया गया था। हम प्रतिवादी के अधिवक्ता के इस तर्क से संतुष्ट नहीं हैं कि चूंकि उनके मुवक्किल की बर्खास्तगी के संबंध में औद्योगिक न्यायाधिकरण में विवाद का कोई संदर्भ नहीं था, इसलिए मुकदमा सक्षम है।

इस तर्क का उत्तर द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स केस (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रासंगिक उद्धरणों से पाया गया है जिन्हें पहले ही ऊपर पुन: प्रस्तुत किया जा चुका है। वादी को अपना उपचार या तो अधिनियम के तहत या एक अलग मुकदमे द्वारा चुनना होगा यदि यह ऐसा मामला था जहां ये दोनों उपचार खुले थे। इस मामले पर जाए बिना कि बहाली के लिए मुकदमा सक्षम है या नहीं और यह मानते हुए कि वादी के लिए दोनों उपचार उपलब्ध थे, उसने अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उपाय को चुना और एक बार जब उसने उस उपाय का लाभ उठाया, तो उस स्थिति में सिविल कोर्ट मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इस प्रकार हम प्रतिवादी के अधिवक्ता के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं।

(12) प्रतिवादी के लिए तत्कालीन अधिवक्ता का अंतिम तर्क यह था कि वादी सुलह कार्यवाही या रिट याचिका में एक पक्ष नहीं था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अधिनियम के तहत उपाय का लाभ उठाया था। औद्योगिक कानून के तहत, धारा 2 (के) के संशोधन से पहले, किसी व्यक्तिगत श्रमिक से संबंधित विवाद को संबंधित श्रमिक के प्राधिकरण पर, जिस संघ का वह सदस्य था, अनुमति पर निपटाया जा सकता था। इस प्रकार, वादी की ओर से वर्कमेन एसोसिएशन द्वारा सुलह की कार्यवाही शुरू की गई और सुलह की कार्यवाही विफल होने के बाद और भारत सरकार ने वादी की बर्खास्तगी पाए जाने के बाद, अधिनियम की धारा 10 के तहत विवाद को संदर्भित करने से इनकार कर दिया। न्यायसंगत, वादी के लाभ के लिए श्रमिक संघ द्वारा इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। वादी ने न तो लिखित बयान के पैरा 8 के उत्तर में प्रतिकृति में और न ही अपने स्वयं के बयान में यह मामला

बनाया कि सुलह कार्यवाही और रिट याचिका उसके द्वारा अधिकृत नहीं थी या उसके कहने पर उसके लाभ के लिए शुरू नहीं की गई थी। अगर ऐसी कोई दलील दी गई होती तो ये मामला जा सकता था. इसलिए, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि सुलह कार्यवाही और रिट याचिका संबंधित श्रमिकों के संघ द्वारा "वादी के लाभ के लिए" दायर की गई थी और वह इसके लिए बाध्य है और अब उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है। वे उस पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि रिट याचिका खारिज होने के बाद ही वर्तमान मुकदमा दायर किया गया था। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह अधिनियम और रिट याचिका के तहत उपाय का लाभ उठा रहा था। और जब वे विफल रहे तो उन्होंने दो बार निवारण के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रीमियर ऑटोमोबाइल की सहजता (सुप्रा) में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

(13) ऊपर दर्ज की गई चीख-पुकार के लिए, 1वेई का मानना है कि इसके मामला जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, आईएल कोर्ट को तथ्यों और परिस्थितियों पर मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है, निचली अदालतों के निर्णयों और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और मुकदमा बर्खास्त हो जाता है। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, अपीलकर्ता भारतीय स्टेट बैंक, तीनों न्यायालयों में प्रतिवादी का खर्च वहन करेगा।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं।

एन.के.एस.

---

***अस्वीकरण:***

***अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।***

***हिमानी सागर***

***प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा***